



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आषाढ़ 6, 1939

No. 533]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASADHA 6, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27th जून, 2017

सा.का.नि. 642 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क और धारा 139कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

1. नियम 114 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई 2017 को स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है और जिससे धारा 139कक की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार आधार संख्यांक सूचित करने की अपेक्षा है, प्रमुख आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) या आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अपना आधार संख्यांक सूचित करेगा।

(6) प्रमुख आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) या आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) उप नियम (4) के अधीन आवेदन के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए या उप नियम (5) में आधार संख्यांक सूचित करने के लिए, रूप विधान और मानकों में डाटा में सुरक्षित संचय और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन और आधार संख्यांक सूचित करने के लिए आवेदन प्ररूप देने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियां विकसित और क्रियान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ;”

II. परिशिष्ट II के प्ररूप सं. 49क में,-

(i) स्तंभ 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“12. किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिससे धारा 139कक के अनुसार आधार संख्यांक या आधार आवेदन प्रारूप की नामांकन पहचान संख्यांक अंकित करने की अपेक्षा है,-

कृपया अपने आधार संख्यांक का उल्लेख करें, (यदि आबंटित हुआ है) :

[illegible]

यदि आधार संख्यांक आबंटित नहीं हुआ है तो आधार आवेदन प्रारूप के नामांकन पहचान संख्यांक का उल्लेख करें :

[illegible]

आधार पत्र या कार्ड के अनुसार या आधार आवेदन प्रारूप के नामांकन पहचान के अनुसार नाम :

[illegible][illegible][illegible]

(ii) स्तंभ संख्या 15 के शीर्ष में “पहचान के सबूत (पीओआई) और पते के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर “पहचान के सबूत (पीओआई) और पते के सबूत (पीओए) और जन्म की तारीख के सबूत (पीओबी) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 56/2017/एफ सं.370142/40/2016-टीपीएल]

અભિષેક ગૌતમ, અવર સચિવ

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित के गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ.1927(अ) तारीख, 16 जून 2017 द्वारा आय-कर (16 संशोधन) नियम, 2017 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।